**न्यायाधीश बालक न्यायालय, उदयपुर**
**(सेशन न्यायालय, उदयपुर)**

**पीठासीन अधिकारी : ज्ञान प्रकाश गुप्ता,**

**प्रथम दाण्डिक अपील संख्या 186 सन् 2026(CIS No 186/2026)**
**(CNR No RJUD–01001435–2026)**
**(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2026 पुलिस थाना गोवर्धनविलास)**

किशोर "D" पुत्र मुकेश कुमार, उम्र 15 वर्ष, निवासी कोटड़ा हरिजन बस्ती, पुलिस थाना कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.) जरिये संरक्षक पिता मुकेश कुमार। –अपीलार्थी

(माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Shilpa Mittal Vs State of NCT of Delhi & Otrs. reported in AIR 2020 SC 405 के निर्देशानुसार किशोर की पहचान को गुप्त रखते हुए उसे "D" नाम से संबोधित किया गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Cri. Misc. Appl. No 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अपीलार्थी की जाति अंकित नहीं की गई है)

विरूद्ध

राजस्थान राज्य –विपक्षी

**दाण्डिक अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.03.2026 जो श्रीमती श्वेता दाधीच, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड उदयपुर (अतिरिक्त कार्यभार) द्वारा पुलिस थाना गोवर्धनविलास की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2026 अपराध अंतर्गत धारा 119(1), 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पारित किया गया।**

**उपस्थितिः**

विद्वान अधिवक्ता श्री आकाश श्रीवास्तव, अपीलार्थी की ओर से।
विद्वान लोक अभियोजक श्री रामकृपा शर्मा राज्य की ओर से।

**आदेश**

दिनांकः 24.03.2026

1. हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/विधि से संघर्षरत बालक "D" की ओर से उसके संरक्षक पिता मुकेश कुमार ने अंतर्गत धारा 101 किशोर न्याय अधिनियम 2015 में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश दिनांक 18.03.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा किशोर न्याय बोर्ड ने अपीलार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 12 किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 निरस्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि फरियादी पुष्पराज मेघवाल ने दिनांक 10.03.2026 को पुलिस थाना गोवर्धनविलास पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह व उसका परिवार पिछले 8 महीने से सेक्टर नं. 14 उदयपुर में किराये पर रह रहा है। आज दिनांक 09.03.2026 को शाम को खाना खाकर चुंगीनाके की तरफ घुमने निकला। 9:18 पी.एम. पर चुंगीनाका बस स्टेण्ड पर तीन व्यक्ति आये, एक का नाम प्रवीण उर्फ मोटा, दूसरा संजय व एक व्यक्ति और था, जिन्होंने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे व नहीं देने पर लात–मुक्कों से मारपीट की। प्रवीण उर्फ मोटा ने उसके सिर में लकड़ी का लठ मारा, वह भागने लगा तो पीछा कर मारने लगे। शेरे पंजाब होटल के स्टाफ ने आकर उसका बीच–बचाव किया नहीं तो उसे जान से मार देते...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले में अनुसंधान जारी है। जिसमें अपीलार्थी/अपचारी बालक "D" दिनांक 11.03.2026 से संप्रेक्षण गृह में है।

JAYDEEP BHATNAGAR
Authenticated Document
Digitally signed by JAYDEEP BHATNAGAR
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.25 14:06:27 +0530

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण के आरोपित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, उसके द्वारा प्रकरण में आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित नहीं है। वह काफी समय से संप्रेक्षण गृह में है, उसके और अधिक संप्रेक्षण गृह में रहने से उसकी मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा एवं वह भ्रमित होकर गलत राह पर भी जा सकता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण के निस्तारण में काफी लम्बा समय लगने की संभावना है, वह नाहक ही बाल सम्प्रेक्षण गृह में रहकर प्रताडित होगा, वहां वह सुधरने की बजाए अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के बालकों के साथ रहकर अपराध की ओर अग्रसर हो जाएगा। अपीलार्थी की किसी भी प्रकार से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ संगत नहीं है, उसे जब भी न्यायालय के द्वारा तलब किया जाएगा, उसके संरक्षक उसे न्यायालय में उपस्थित रखेगा। किशोर का पिता बच्चे की पूर्ण देख–रेख करते हुए उसे अन्य किसी आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होनेदेगा। इन आधारों पर उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड के आक्षेपित आदेश को अपास्त कर अपचारी बालक को उसके संरक्षक पिता को सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अपीलार्थी की अपील बाबत जमानत खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. विधि से संघर्षरत बालकों की सुपुर्दगी पर विचार करते समय बालकों का सर्वोत्तम हित देखा जाना होता है। अपीलार्थी/विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी पुष्पराजसिंह से शराब पीने के लिए पैसे मांगने व नहीं देने पर फरियादी के साथ लात–मुक्कों व लठ से मारपीट कर चोटें कारित करने के धारा 119(1), 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आक्षेप है। आहत पुष्पराजसिंह का चोट प्रतिवेदन अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें चिकित्सक द्वारा आहत के 1 चोट कुंद हथियार से कारित होकर उसके लिए राय रिजर्व रखना अंकित किया है। उक्त चोट के संबंध में कोई एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 11.03.2026 से संप्रेक्षण गृह में है, अनुसंधान पत्रावली पर उसका पूर्व का कोई आपराधिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, उदयपुर की अपीलार्थी के संबंध में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट दिनांक 16.3.2026 उपलब्ध है, जिसमें अधीक्षक द्वारा बालक के संरक्षक को बालक के आचरण के लिए पाबंद कर पुनर्वास करवाये जा सकने की अनुशंसा की गई है। इन परिस्थितियों में बालक की अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर के आदेश दिनांक 18.03.2026 अपास्त किया जाकर यह अपील समुचित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**आदेश**

7. फलतः किशोर न्याय बोर्ड का आदेश दिनांक 18.03.2026 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी/अपचारी "D" की ओर से प्रस्तुत यह अपील बाबत जमानत एतद्द्वारा स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अपचारी का संरक्षक पिता किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर के समक्ष संतुष्टिप्रद पचास हजार रूपये की जमानत और इसी राशि का एक सुपुर्दगीनामा निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो विधि से संघर्षरत बालक को उसके पिता को सुपुर्दगी पर उक्त प्रकरण के निस्तारण तक दे दिया जावे–

1. अपीलार्थी/विधि से संघर्षरत बालक का संरक्षक पिता अपीलार्थी की उचित देखभाल करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि विधि से संघर्षरत बालक किसी भी प्रकार की आपराधिक संगत में नहीं रहे, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहे तथा गवाहान को डराएगा धमकाएगा नहीं और उनसे

किसी प्रकार का संपर्क नहीं करेगा।

2. अपीलार्थी/विधि से संघर्षरत बालक का संरक्षक पिता इस आशय की अंडर टेकिंग प्रस्तुत करेगा कि वह अपीलार्थी का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगा, उसको ज्ञात या अज्ञात अपराधियों के संपर्क से बचाएगा तथा उसकी समझाइश कर उसे मुख्य धारा में लेकर आएगा।

3. किशोर न्याय बोर्ड में प्रत्येक पेशी पर उक्त विधि से संघर्षरत बालक उपस्थित होता रहेगा और प्रकरण के निस्तारण में सहयोग करेगा।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
न्यायाधीश
बालक न्यायालय, उदयपुर
(सेशन न्यायालय, उदयपुर)

8. आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
न्यायाधीश
बालक न्यायालय, उदयपुर
(सेशन न्यायालय, उदयपुर)